न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 79/2019

दीप सिंह पुत्र पन्नीलाल जाति जाट निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राजेन्द्र पुत्र जीवा जाति गुर्जर निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी

दिनांक :– 08.04.2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 889/1/0.09 है0 बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और आराजी पर वादी का कब्जा व काश्त है प्रतिवादी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन प्रतिवादी बिना वजह कब्जे काश्त वादी में मजाहमत व मदाखलत करता रहता है और नाजायज कब्जा कर निर्माण कार्य करने की फिराक में है। जिसकी धमकी प्रतिवादी ने दिनांक 30. 06.2019 को बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में दी है। यदि प्रतिवादी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो वादी को अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जर्रे नगद से सम्भव नहीं हो सकेगी। विधि वजह वादी खिलाफ प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार की मजाहत व मदाखलत ना करे कब्जा नाजायज ना करे मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 15.02.2021 को प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 दीपसिंह , का शपथ पत्र पेश कर अपनी साक्ष्य बन्द की।

बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2062 से 2065 का भी अवलोकन किया। उक्त नकल जमाबन्दी में वादी विवादित आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी का जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित ना होना यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादी द्वारा किये गये दावे से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 889/1/0.09 है0 बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें। पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 79/2019
दीप सिंह पुत्र पन्नीलाल जाति जाट निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राजेन्द्र पुत्र जीवा जाति गुर्जर निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 889/1/0.09 है0 बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें।
आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.04. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुहर
.....

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner